समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित कानून, नीतियां व कार्य योजनाएं

KALPAVRIKSH

समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों[१] से संबंधित कानून, नीतियां व कार्य योजनाएं

आदिवासी समुदाय और वनों में रहने वाले अन्य कई समुदाय, जो अपने आस-पास के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, प्राकृतिक संपदा के साथ रहने की एक जीवनशैली बना लेते हैं। ऐसे कुछ समुदायों के लिए प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना या पूर्ण रूप से उसका रक्षण करना इस जीवनशैली का हिस्सा है। भारत में ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जहां देवताओं के नाम पर संरक्षित जंगल, जल व भूमि संसाधनों का लोग पीढ़ियों से संरक्षण करते आ रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां स्थानीय लोगों ने वनों की सुरक्षा व पुनर्जनन का काम हाल ही में किया है। समुद्री कछुओं का संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण व पारिस्थितिकीय संपदा को ''विकास'' की परियोजनाओं से रक्षा करना ऐसे उदाहरणों में से है। इन सभी प्रयत्नों से लोगों को पारिस्थितिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व अकसर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रयत्नों के कारण कई महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों व पारिस्थितिकी का संरक्षण भी हो रहा है।

इस प्रकार के प्रयत्नों को हम सुविधा के लिए ''समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र'' या कम्यूनिटि कन्ज़र्व्ड एरिया (CCA) कह कर बुलाते हैं। अगर इन क्षेत्रों को एक परिभाषा दी जाए तो वह कुछ इस प्रकार होगी - ''ऐसे प्राकृतिक व परिवर्तित (जहां न्यूनतम से लेकर काफी हद तक मानवीय प्रभाव हों) पारिस्थितिकीय क्षेत्र जो जैवविविधता, पारिस्थितिकीय सेवाओं व सांस्कृतिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनका स्थानीय समुदाय स्वेच्छा से संरक्षण करते आए हैं और इसके लिए उन्होंने पारंपरिक कानून व अन्य प्रभावकारी तरीके बनाए हुए हैं''।

इन CCAs के लिए अपने ही स्थानीय संस्थागत ढांचे, नियम और सिद्धान्त होते हैं जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। यह नियम उस क्षेत्र की प्रकृति, स्थानीय लोगों व अन्य स्थानीय सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करते हैं।

पिछले कुछ दशकों में देश में प्रकृति, वन, वन्यजीव व जैवविविधता संरक्षण की औपचारिक प्रणालियां अपनाई गई हैं, जिसके कारण भारतीय सरकार ने कई औपचारिक कानून, नीतियों और कार्य योजनाएं लागू की हैं। क्योंकि अकसर इन कानूनों को बनाते समय CCA's को ध्यान में नहीं रखा जाता है - ये कानून पहले से चले आ रहे समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कई जगहों पर, जहां इन औपचारिक प्रणालियों को उपयुक्त रूप से बनाया गया है, समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को इनके कारण आवश्यक कानूनी सहयोग मिल रहा है। यह सहयोग विभिन्न प्रकार के बाहरी व आंतरिक खतरों से मुकाबला करने में सहायक सिद्ध होता है।

हालांकि समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र इन राज्य स्वीकृति प्राप्त संरक्षित क्षेत्रों से काफी पुराने हैं, उन्हें इन औपचारिक प्रणालियों में अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। यहां तक कि कुछ समय पहले तक यह प्रणालियां संरक्षण में समुदायों की भूमिका को नकारात्मक दृष्टि से ही देखती थीं और उन्हें उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकीय से अलग करने की पैरवी करती थीं। अभी हाल में ही दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव आया है, जहां संरक्षण में समुदायों की भूमिका को कुछ पहचान मिली है और आज के कानूनी प्रावधान समझ व मनोवृत्ति के इस बदलाव को कुछ हद तक दर्शाते हैं। नीचे तालिका में विभिन्न औपचारिक कानून उनकी उपयोगिता तथा समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों पर उनके प्रभावों को दर्शाया गया है।

१ यह लेख सामुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की डायरैक्ट्री से लिया गया है जिसका कल्पवृक्ष सदस्य नीमा पाठक ने संकलन किया है। संपादकीय सहयोग आशीष कोठारी व एरिका तारापोरवाला द्वारा दिया गया है।

तालिका-१ समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित कानून

अधिनियम/नीति	प्रावधान	गुण	कमियाँ
भारतीय वन अधिनियम, १९२७	▪ इस अधिनियम के अंतर्गत यदि स्थानीय समुदाय चाहें और कुछ शर्तें पूरी करें, तो आरक्षित वनों को ग्राम वनों में बदला जा सकता है। इसके बाद संबंधित समुदायों को वन विभाग की शक्तियां दी जा सकती हैं।	▪ कई समुदाय जो वनों का संरक्षण कर रहे हैं, उन क्षेत्रों को ग्राम वन घोषित करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह समुदायों द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा कानून हो सकता है। क्योंकि इस कानून के अंतर्गत नियम बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों को ही सौंपी गई है, बशर्ते कि वे असरदार प्रबंधन व सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करें।	▪ पिछले ८० वर्षों में इस प्रावधान को सही मायनों में लागू नहीं किया गया है। दो राज्यों (उत्तराखंड व कर्णाटक) जहां इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को ग्राम वन घोषित किया गया है, वहां भी समुदाओं को दी गई शक्तियों को कमज़ोर बनाकर, सरकार ने संस्थाएं स्थापित करने से लेकर उनके काम काज तक में अपना पुरजोर हस्तक्षेप रखा है। ▪ सरकारी विभागों में असल शक्तियां स्थानीय समुदायों को सौंपने की इच्छा नज़र नहीं आती। ▪ अधिनियम के अनुसार सरकार कभी भी ग्राम वन की स्वीकृति को रद्द कर सकती है। जिन स्थितियों में ऐसा निर्णय लिया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, २००३	▪ संरक्षित क्षेत्रों की दो नई श्रेणियाँ जोड़ी गई है - सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ▪ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा निजि या सामुदायिक (जिसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है) भूमि पर की जा सकती है। ▪ संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा सरकारी भूमि पर स्थानीय लोगों की सलाह पर की जा सकती है।	▪ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी से निजि या सामुदायिक भूमि पर समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहयोग मिल सकता है। ▪ संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के प्रावधान में, भारत के संरक्षण इतिहास में पहली बार किसी आरक्षित क्षेत्र की घोषणा से पहले स्थानीय लोगों से सलाह की बात की गई है।	▪ अधिनियम के अनुसार इन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक जैसी प्रबंधक कमिटियों की स्थापना अनिवार्य है। इसके कारण, लोगों ने हर क्षेत्र की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो प्रक्रियाएँ बनाई हैं, उनको नज़रंदाज़ कर दिया गया है। ▪ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में केवल निजि या सामुदायिक भूमि ही शामिल की जा सकती है। परन्तु भारत में समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अध्ययन से पता चला है कि संरक्षण के ज़्यादातर प्रयास सरकारी भूमि पर हैं। अतः इनको तब तक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता जब तक राज्य सरकारें ''सामुदायिक भूमि'' की परिभाषा में सरकारी भूमि भी शामिल न करें। ▪ अधिनियम के अनुसार, पहले से घोषित संरक्षित क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र) में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसा करने के लिए उनको पहले दी गई श्रेणी को रद्द करना होगा। रद्द करने की प्रक्रिया में यह संकटग्रस्त क्षेत्र बाहरी खतरों के लिए खुल जाएंगे।

			▪ एक बार किसी व्यक्ति या समुदाय की भूमि (जिसे वह व्यक्ति या सामुदाय नियंत्रित करता था) सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दी जाती है, तो उसकी प्रबंधक संस्था में राज्य के वन या वन्यजीव विभाग के प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। ऐतिहासिक रूप से, इन दोंनों विभागों और लोगों के बीच तनावपूर्ण रिश्ता रहा है, जिसके कारण लोग इस प्रावधान को ज़बरदस्ती दखलंदाज़ी की तरह देखेंगे। अतः समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र नहीं बन पाएंगे। ▪ एक बार अपनी भूमि सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति या समुदाय उस भूमि के उपयोग में कुछ बदलाव नहीं कर सकता - इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इन सभी कारणों से पहले से ही संरक्षण करते आ रहे समुदाय अपने क्षेत्र को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में तब्दील करने से कतराएंगे। ▪ जो समुदाय सरकारी भूमि पर संरक्षण कर रहे हैं, वे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के कानूनी प्रावधानों का सहयोग ले सकते हैं। परन्तु एक बार यह घोषणा होने के बाद जो लोग अभी तक इन संसाधनों को पूरी तरह नियंत्रित करते आ रहे थे, अब केवल मुख्य वन्यजीव पालक के सलाहकार की भूमिका में रह जाएंगे। इस कारण इस प्रावधान के उपयोगी होने की संभावना कम है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६	▪ इस कानून के अंदर प्राकृतिक संसाधनों व पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को "पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र" या "ईकोलौजिकली सैन्सिटिव एरियाज़" घोषित किया जा सकता है। इसके द्वारा इन क्षेत्रों में कुछ विशेष व्यवसायिक, औद्योगिक व विकास गतिविधियों का नियंत्रण किया जा सकता है।	▪ व्यवसायिक व औद्योगिक प्रक्रियाओं से अगर खतरा हो तो इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है।	▪ समुदाओं को इस अधिनियम व इसके उपयोग के विषय में कम जानकारी है। देश में कई पारिस्थितिकीय संवेदशील क्षेत्र हैं, लेकिन कहीं भी इनमें समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। इसका समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है।
पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित) अधिनियम १९९६	▪ इस कानून का उद्देश्य प्रशासन व्यवस्था को स्थानीय संस्थानों, जैसे - पंचायतों, ग्राम सभाओं को सौंपते हुए प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना है - मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में जिन्हें संविधान के अंतर्गत "अनुसूचित" घोषित किया गया है। ▪ यह अधिनियम गैर-काष्ठीय वन संसाधनों का नियंत्रण व निर्णय लेने के अधिकार स्थानीय संस्थानों को सौंपता है। ▪ किसी क्षेत्र से संबंधित विकास या अन्य मुद्दों पर स्थानीय लोगों से सलाह लेना अनिवार्य करता है।	▪ इसे एक क्रांतिकारी अधिनियम माना गया है, जिसमें संरक्षण व आजीविका की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए, विनाशकारी प्रभावों से लड़ने की संभावना है।	▪ जिन राज्यों में इसे लागू किया गया है, वहां राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के प्रावधानों को कमज़ोर बना दिया है। ▪ इसके अतिरिक्त अधिकतर राज्यों में, सरकारी वनों व संरक्षित क्षेत्रों को इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है।

जैव विविधिता अधिनियम, २००२	▪ इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर जैव विविधता प्रबंधक कमिटियां बनाना अनिवार्य है। इन कमिटियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को जैवविविधता प्रबंधन, संरक्षण व उसके दस्तावेजीकरण में मदद करे। ▪ इसके अंतर्गत कृषि या वन्यजीव जैव विविधता हेतु संरक्षित क्षेत्रों को 'विरासती जैव संरक्षित क्षेत्र' (बायोडायवर्सिटि हैरिटेज साईट्स) घोषित करने का प्रावधान है। ▪ इस अधिनियम में पालतू व जंगली दोनों ही प्रकार की जैवविविधता के संरक्षण का प्रावधान है। ▪ राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण व राज्य जैवविविधता बोर्ड के लिए अनिवार्य है कि वे स्थानीय जैवविविध संसाधनों व उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग का निर्णय लेने से पहले स्थानीय जैवविविधता प्रबंधक कमिटियों से सलाह लें।	▪ जैवविविधता प्रबंधक कमिटियों व जैवविविधता विरासती क्षेत्रों के प्रावधान को वन्यजीव व जैवविविधता संरक्षण व स्थानीय आजीविकाओं के प्रोत्साहन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ▪ संभवतः जैवविविधता प्रबंधक कमिटियां जैवविविधता के संरक्षण व प्रबंधन के लिए शक्तिशाली स्थानीय इकाईयां बन सकती थीं और इस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए नियम इस प्रावधान को और शक्ति प्रदान कर सकते थे। ▪ विरासती क्षेत्रों के प्रावधान का उपयोग समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिए आवश्यक कानूनी सहयोग के लिए किया जा सकता है। परन्तु यह राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेगा कि यह प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू किया जा सकता है या नहीं।	▪ इस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए जैवविविधता नियम, २००४ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, उपयोग व संरक्षण के लिए गांव स्तरीय कमिटियों को सशक्त नहीं कर पाए हैं। नियमों के अनुसार, उनका कार्य केवल जैवविविधता के दस्तावेज़ीकरण तक ही सीमित रखा गया है। इसके अतिरिक्त वे केवल स्थानीय या राज्य बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्र के जैव विविध संसाधनों व उनसे जुड़े ज्ञान के उपयोग के विषय में सलाह दे सकते हैं। ▪ भारत में अभी तक संसाधनों व उनसे जुड़े ज्ञान के दस्तावेजीकरण की सुरक्षा के लिए कोई नियम या कानून नहीं बनाया गया है लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत संसाधनों व उनके ज्ञान पर बौद्धिक अधिकार स्वीकृत करने के प्रावधान दिए गए हैं। इस स्थिति में जैवविविधता प्रबंधक कमिटियों को दिए गए कार्य स्थानीय समुदायों को और भी शक्तिहीन बना सकते हैं। ▪ कुछ राज्यों, जैसे मध्यप्रदेश व सिक्किम, ने स्थानीय कमिटियों को ज्यादा अधिकार व शक्तियां दी हैं, और पारंपरिक ज्ञान को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान अनिवार्य किया है। परंतु अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। ▪ विरासती क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई नियम या दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं, अतः यह प्रावधान देश में कहीं लागू नहीं हुआ है। २००७ के अन्त में सुनने में आया था कि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण विरासती क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है।[२]

२ कल्पवृक्ष ने प्राधिकरण को दिशानिर्देशों के लिए सुझाव दिए हैं। यह कल्पवृक्ष में उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक आदिवासी (अधिकारों को मान्यता) अधिनियम २००६	▪ यह अधिनियम वनभूमि व वन संसाधनों पर निर्भर आदिवासी समुदायों के अधिकारों को स्थापित करता है। अधिनियम में और अधिक वैज्ञानिक व सहभागी तरीकों द्वारा (जिसमें परस्पर मिलजुलकर रहना या लोगों की सहमति से विस्थापन शामिल है) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण को मजबूत करने पर ज़ोर दिया है।	▪ पारंपरिक संरक्षण, वनाश्रित जीवन की विनाशकारी प्रक्रियाओं से सुरक्षा व समुदायों द्वारा २००५ के पूर्व से अधिकृत क्षेत्रों पर दावों के निर्धारण में ग्राम सभा की भूमिका के सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया गया है। ▪ प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को स्थापित करके यह अधिनियम आदिवासियों को अधिक आजीविका सुरक्षा देता है साथ ही, इसके अंतर्गत यह अनिवार्य है कि बिना लोगों की सहमति लिए किसी प्रकार का विस्थापन नहीं किया जा सकता। ▪ सरकारी आरक्षित क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के लिए ज्यादा अवसर देता है। ▪ 'सामुदायिक वन' की श्रेणी के माध्यम से समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहयोग देने का प्रावधान है। इस श्रेणी में लोग कानूनी रूप से उस क्षेत्र की सुरक्षा कर सकते हैं जिसे वे पारंपरिक रूप से बचाते आए हैं। साथ ही वे उचित संस्थागत ढांचा, नियम व कानून भी बना सकते हैं।	▪ यह स्पष्ट नहीं है कि सामुदायिक वन का प्रावधान किस प्रकार लागू किया जाएगा। ▪ दिसम्बर २००५ तक के वन भूमि पर 'अतिक्रमण' को नियमित करने के प्रावधान के कारण नए अतिक्रमण बढ़ने की संभावना हैं और इससे समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ सकता है। ▪ कुछ विकास योजनाएं व गतिविधियां (जैसे - सड़क निर्माण) जिनके लिए पहले वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति लेनी पड़ती थी, उन्हें छूट दे दी गई है। यह वन क्षेत्रों में विनाशकारी योजनाओं को बढावा दे सकता है, और इससे वन क्षेत्र का खंडन हो सकता है। ▪ इस अधिनियम का अन्य वन/वन्यजीव संबंधित कानूनों से रिश्ता स्पष्ट नहीं किया गया है। खासकर, जहां लोग 'सामुदायिक वन' के अधिकार का दावा करते हैं, उस क्षेत्र का नियंत्रण वन विभाग के हाथ में ही है - ऐसी स्थिति में किस प्रकार का संस्थागत ढांचा बनाया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। ▪ संरक्षण के प्रति सामुदायिक जिम्मेदारी के लिए प्रावधान स्पष्ट नहीं है।

वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम, २००६	▪ इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने व बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के प्रावधान हैं।	▪ इस संशोधन के अंतर्गत अनेक दावेदारों व भागीदारों के साथ बाघ प्राधिकरण स्थापित करने के प्रावधान से वन्यजीव प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सौहार्दपूर्ण जीवन शैली अपनाने के प्रावधान को और गहराई से समझकर अपनाने का प्रावधान है। आवश्यकता स्थापित किए जाने पर, विस्थापन केवल लोगों की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। इस संशोधन के प्रभाव सामने आने बाकी हैं।	▪ इस संशोधन के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है। इसके कारण इन आरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण स्तर में गिरावट आने की संभावना है। यह मामला दिसम्बर २००७ तक सर्वोच्चय न्यायालय में था।
नागालैंड का ग्राम परिषद् अधिनियम (ऐसे राज्य स्तरीय कानून अन्य राज्यों में भी बनाए जा सकते हैं)	▪ इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम परिषद (स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं) को अपने क्षेत्र में वन्यजीव प्रबंधन का अधिकार है। भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न, नागालैंड में ज्यादातर भूमि पर सामुदायिक या निजि स्वामित्व है।	▪ इस अधिनियम के अंतर्गत, नागालैंड में दर्जनों समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे उन्हें व्यवसायिक व औद्योगिक ताकतों के खिलाफ एक सशक्त कानून मिल गया है।	

तालिका-२ समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित भारतीय नीतियाँ व कार्य योजनाएँ

राष्ट्रीय वन नीति १९८८	▪ इस नीति में वनों के संरक्षण, प्रबंधन व संवर्धन और सरकारी वनों व वन संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित करने के नियम हैं।	▪ भारत की स्वतंत्रता के बाद, पहली बार इस नीति में स्थानीय लोगों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग व ज़रूरतों की पूर्ति को औद्योगिक ज़रूरतों से ज्यादा आवश्यक माना गया है। ▪ यह नीति वनों के प्रबंधन में उन स्थानीय लोगों की भागीदारी पर ज़ोर देती है, जिनकी आजीविकाएं इन वनों पर आश्रित हैं। ▪ इस नीति के अंतर्गत १९९० में संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) का सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। तब से लाखों हैक्टेयर वन क्षेत्र, जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है, संयुक्त वन प्रबंधन के अंदर लाये गये हैं। जे.एफ.एम. में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जंगलों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य है और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले लकड़ी को बेचकर हुए लाभ को लोगों के साथ बांटने का प्रावधान है। कई राज्यों में जे.एफ.एम. काफी सफल रहा है और कई जगह पूरी तरह से विफल। इसका कारण राज्यों की अपनी नीतियों, क्रियान्वयन के तरीके और कई बार कुछ व्यक्ति (वनाधिकारी व स्थानीय लोग) रहे हैं।	▪ इस नीति को अच्छी तरह से किसी कानून में परिवर्तित नहीं किया गया है। (अभी भी १९२७ का भारतीय वन अधिनियम ही लागू है)। यही कारण है कि इस नीति के प्रगतिशील प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, २००२-२०१६	▪ यह योजना संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर वन्यजीव संरक्षण, इन क्षेत्रों के प्रबंधन, संकटग्रस्त प्रजातियों के गैर कानूनी व्यापार, लोगों की वन्यजीव संरक्षण में भागीदारी, संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन इत्यादि विषयों पर नीतियाँ व कार्य योजनाएँ बनाने से संबंधित है।	▪ इस योजना में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व आस-पास रहने वाले समुदायों की प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी की परिकल्पना की गई है। ▪ उनकी भागीदारी को संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक असरदार पहलू के रूप में मान्यता दी गई है। ▪ इस योजना के अनुसार, स्थानीय समुदायों को वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन से होने वाले लाभों में अवश्य भागीदार होना चाहिए। ▪ संरक्षण में स्थानीय लोगों के प्रयासों को अवश्य सहयोग मिलना चाहिए।	▪ इस योजना के प्रगतिशील प्रावधानों का प्रभाव देखना अभी बाकी है, क्योंकि इसको अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय अवधि होने के बावजूद इसको लागू करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए गए हैं। ▪ इस योजना को लागू करने के लिए जो कानूनी माहौल आवश्यक है वह भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना में लोगों की भागीदारी की परिकल्पना नहीं की गई है।

राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति व कार्य योजना प्रारूप २००४	▪ इस प्रारूप में समुदायों के संरक्षण प्रयासों और उन्हें कानूनी व प्रशासनिक सहयोग दिए जाने को मान्यता दी गई है। संयुक्त संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन (Joint Protected Area Management) लागू करने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर भी इसमें जोर दिया गया है। ▪ यह प्रारूप देश भर में वैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों, समुदाओं व अन्य लोगों की भागीदारी से बनाया गया और २००३ में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय में दे दिया गया था।	▪ इसमें समुदाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों व संयुक्त संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित कई सहयोगी प्रावधान हैं।	▪ इसको सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिए संबंधित कानून, नीतियां व कार्य योजनाएं
चित्रांकन : मधुवंती अनंतराजन
अनुवाद : निधि अग्रवाल
प्रकाशित : कल्पवृक्ष, अपार्टमेन्ट ५ श्री दत्तकृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
फोन : ९१-२०-२५६७५४५०
फोन/फैक्स : ९१-२०-२५६५४२३९
ईमेल : kvoutreach@gmail.com
वेबसाइट : www.kalpavriksh.org
आर्थिक सहयोग : मिज़रिओर, जर्मनी